न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 94 / 2019

श्री सुखदेव पुत्र श्री रामनाथ, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लीड़ी, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन
2– राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, पीसांगन

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–05.01.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2076 में श्री सुखदेव पुत्र श्री रामनाथ, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लीड़ी, तहसील पीसांगन ने ग्राम लीड़ी के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1222 कुल रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मु0 सड़क में से 0.02 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान व दीवारी का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट नायब तहसीलदार पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 05 / 2019 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 13.06.2019 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सामग्री को जब्त सरकार कर नीलामी के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 13.06.2019 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना तथा विवादित भूमि की मौका स्थिति

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

की जांच किये बिना आक्षेपीय आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। उनका यह भी कथन है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1222 पर अतिक्रमण के संदर्भ में नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट ने नियत दिनांक 28.05.2019 को उपस्थित होकर विवादित आराजी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने एवं रेकॉर्ड पेश करने हेतु समय का निवेदन किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.05.2019 में अतिक्रमण स्वीकार करना दर्शाया गया जबकि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार ही नहीं किया गया एवं अपीलान्ट के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवा लिये गये तथा प्रकरण में आगामी पेशी नहीं देकर आगामी कार्यवाही की सूचना देने हेतु कहा गया। उन्होने कथन किया कि अपीलान्ट का मकान/बाड़ा जो कि वर्तमान खसरा संख्या 1220 रकबा 0.0400 हैक्टर ग्राम लीड़ी गै0मु0 आबादी के एक भाग पर करीब 60 वर्षों से चार पट्टी पोश कमरे मय चार दीवारी निर्मित किये हुए हैं तथा 20 वर्षों से विद्युत कनेक्शन भी स्थापित है। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 848 अनुसार श्रीमति बिरदी देवी पत्नि श्री उगमा 2/3 हिस्सा व श्रीमति शारदा देवी पत्नि श्री सुखदेव 1/3 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार अपीलान्ट की पत्नि श्रीमति शारदा देवी के नाम वर्तमान जमाबन्दी में इन्द्राज दर्ज है। अपीलान्ट विवादित आराजी में जन्म से ही परिवार व पशुओं सहित निवास कर रहा है। उक्त निर्माण खसरा संख्या 1222 सड़क सीमा से दूर खसरा संख्या 1220 के एक भाग पर किया हुआ है एवं गैर मुमकिन आबादी है। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी के किसी भाग पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व न तो पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये गये एवं न ही मौके की भौतिक कब्जे की जांच की गई। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं मौके की भौतिक जांच किये बिना आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलाधीन आदेश साईक्लोस्टाईल प्रपत्र में जारी किया गया है जो आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन सड़क की सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान व दीवार का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है जो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है जो आदेशिका से सिद्ध होता है। विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 1222 पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान व दीवार का निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के साथ ही गैर मुमकिन सड़क की भूमि है जो नियमन योग्य भी नहीं है किन्तु साथ ही

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

वकील अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्शाया गया निर्माण विवादित आराजी पर नहीं होकर अपीलान्ट द्वारा खसरा संख्या 1220 रकबा 0.0400 हैक्टर ग्राम लीड़ी गै0मु0 आबादी के एक भाग पर करीब 60 वर्षों से चार पट्टी पोश कमरे मय चार दीवारी निर्मित किये हुए हैं।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त करते हुए अपील तहसीलदार/नायब तहसीलदार, पीसांगन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे राजस्व रेकॉर्ड व मौके की वर्तमान एवं वस्तुस्थिति की पुनः जांच करें तथा अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें। साथ ही विवादित आराजी पर अवैध अतिक्रमण पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे।

आदेश आज दिनांक 05.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर